जारी करने वाले के हस्ताक्षर
पत्रांक दिनांक 17-3-2021
प्रार्थी श्री रतनसिंह राठौर
तैयारी का दि० 17-3-2021
टिकट सं०/रू० 13-00
जारी का दि० 17-3-2021

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहापुर,तहसील :पुवायाँ
वाद सख्या :-00494/2021
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202112610200494
डी0 राममनोहर लोहिया बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नकल

निर्णय

प्रस्तुत वाद डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसभरा आढत कस्बा व तहसील पुवायॉ जनपद शाहजहॉपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद योजित किया गया जिसमें ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायॉ की गाटा सं0 168/0.789 को अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायॉ से जॉच आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार पुवायॉ ने अपनी जॉच आख्या दिनॉक–05.03.2021 में उल्लेख किया है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायॉ की गाटा सं0 168/0.789 हे0 वर्तमान खतौनी 1428–1433 फसली संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1क डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसभरा आढत तहसील पुवायॉ के नाम दर्ज है। प्रश्नगत गाटा सं0 168/0.789 खाली पडा है जिस पर छात्रावास बनना प्रस्तावित है। वर्तमान में गाटा सं0 168/0.789 पर कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन नही हो रहा है, जिसे उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2)के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मैनें पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया एवं पत्राववली पर रक्षित ग्राह्य साक्ष्यों एवं तहसीलदार पुवायॉ की आख्या दिनॉक–05.03.2021 का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायॉ की गाटा सं0 168/0.789 हे0 वर्तमान खतौनी 1428–1433 फसली संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1क डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसभरा आढत तहसील पुवायॉ के नाम दर्ज है। प्रश्नगत गाटा सं0 168/0.789 खाली पडा है जिस पर छात्रावास बनना प्रस्तावित है। वर्तमान में गाटा सं0 168/0.789 पर कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन नही हो रहा है, इस कारण भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) में दिये गये प्राविधानों के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अकृषक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा नियमानुसार देय धनराशि अंकन 29,982/–(उन्तीस हजार नौ सौ बयासी रूपये मात्र) भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुवायॉ में चालान सं0 सी0ए0 00047 दिनॉक 10.03.2021 व 1 प्रतिशत देय ई0 स्टाम्प शुल्क अंकन 29,982/--रूपये दिनॉक 10.03.2021 प्रस्तुत किया है, भूमि अकृषिक किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार पुवायॉ की जॉच आख्या दिनॉक 05.03.2021 के आधार पर ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायॉ की वर्ष खतौनी 1428–1433 की खाता सं0 00051 पर गाटा सं0 168/0.789 मालगुजारी 60ख के अनुसार डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसभरा आंढत कस्बा व तहसील पुवायॉ जनपद शाहजहॉपुर को अकृषिक घोषित किया जाता है। अन्य अधिनियमों के प्राविधानों का इस पर कोई प्रभाव नही होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग में किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आदेश की घोषणा से 5 वर्ष की अवधि के अन्दर यदि भूमिधर द्वारा प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 की धारा 80(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। पत्रात्रली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की प्रति अभिलेखों में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पुवायॉ को भेजी जाये एवं आदेश की एक प्रति उप निवन्धक पुवायॉ भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक--

16/3/21

(सतीश चन्द्र)
उप जिलाधिकारी
पुवायॉ शाहजहॉपुर।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
प्रतिलिपिकार
17/03/2021

उप जिलाधिकारी कार्यालय पुवायाँ-शाहजहाँपुर

पृष्ठ संख्या :